For Upload on Website

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–5

क्रमांक :ए.1(4)94/89/पार्ट V
दिनांक : 29 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश

निगम के आदेश क्रमांक A.1(4)94/89/Pt.IV/2092 दिनांक 16.02.2022 द्वारा निगम के समस्त कार्मिकों को केशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) दिनांक 28.02.2022 से लागू की जा चुकी है।

इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि आरजीएचएस में पंजीयन करवाकर आरजीएचएस कार्ड की फोटोप्रति एचआरडी प्रकोष्ठ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे जिससे निगम द्वारा प्रीमियम की राशि राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें ताकि आरजीएचएस कार्ड के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सकें।

निगम सेवा से सेवानिवृत कार्मिक जिन्होंने दिनांक 31.03.2022 तक आरजीएचएस योजना का लाभ लेने हेतु विकल्प पत्र मय आरजीएचएस कार्ड की प्रति के साथ प्रिमियम की निर्धारित राशि वित्त शाखा में जमा करवा दी थी, उनके आरजीएचएस कार्ड एक्टिव होने की दिनांक तक पूर्व की भांति चिकित्सा बिलों के पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वर्तमान में निगम कार्मिकों को दिनांक 28.02.2022 से दिनांक 31.05.2022 तक के चिकित्सा बिलो का पूर्व की भांति पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निगम में कार्यरत कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड के संबंध में आ रही समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निगम प्रबंधन द्वारा आरजीएचएस कार्ड बनवाने की अवधि को दिनांक 31.05.2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.05.2022 तक अनिवार्य रूप से अपना आरजीएचएस कार्ड बनाकर स्वयं की रीको ईआरपी लॉगिन आईडी में एसएसओ आईडी, आरजीएचएस कार्ड एवं जनआधार कार्ड को अद्यतन करने के पश्चात आरजीएचएस कार्ड की एक प्रति उपमहाप्रबंधक (एचआरडी) को भिजवाना सुनिश्चित करें। निगम कार्मिकों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक आरजीएचएस कार्ड की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति में कार्मिक को किसी भी चिकित्सा सुविधा/पुनर्भरण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।

29/4/2022
(बिन्दु करूणाकर)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
3. समस्त इकाई प्रभारी

(1–3) को भेजकर लेख है कि आपके प्रकोष्ठ/इकाई मे कार्यरत कार्मिकों को उक्त आदेश से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4. उप महाप्रबन्धक (आईटी) – उक्त आदेश को रीको वेबसाईट पर अपलोड करवायें ।
5. न्यास सचिव, सीपीएफ ट्रस्ट
6. प्रबंधक, बिल्स
7. कार्यालय आदेश पत्रावली
8. नोटिस बोर्ड

प्रतिलिपि को भी

1. वरि.निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
2. वरि. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदया